

महत्वपूर्ण
संख्या-I/1145251/2025/नौ-6-2025-ई-1904479

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 17-11-2025

विषय: नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत द्वितीय किशत की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोसीकलां, जनपद-मथुरा का पत्र दिनांक 28.10.2025 एवं निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० का पत्र दिनांक 10.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) के अन्तर्गत चयनित कतिपय कार्यों हेतु स्वीकृत प्रथम किशत की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 29-05-2025 द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-9.6 में व्यवस्था है कि पी०एम०यू०, क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) पर व्यय के लिये कुल प्राविधानित बजट की 02 प्रतिशत धनराशि आरक्षित होगी, जिसमें से 01 प्रतिशत धनराशि (कुल प्राविधानित बजट की 01 प्रतिशत) नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त गतिविधियों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 के अन्तर्गत अधोलिखित निर्माण कार्य की परियोजना एवं प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) को शामिल करते हुए द्वितीय किशत के रूप में कुल धनराशि **रु० 54.63 लाख (रु० चौवन लाख तिरसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिकानुसार एवं उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम/ कार्य का नाम	योजना हेतु स्वीकृति धनराशि	टेण्डर की धनराशि	कुल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (प्रशासकीय एवं अन्य मद सहित)	प्रथम किशत में प्रदान की गयी धनराशि	द्वितीय किशत में प्रदान की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	8
1	नगर पालिका परिषद कोसीकला, जनपद-मथुरा में नद गांव रोड पर अग्रवाल कालोनी में 30 फुटा रोड पर सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य	45.00	45.24947	45.70	22.85	22.85
2	नगर पालिका परिषद कोसीकला, जनपद-मथुरा में बिटिया पार्क का निर्माण कार्य।	10.00	10.19	10.29	5.14	5.15
3	नगर पालिका परिषद कोसीकला के गांधी पार्क में ओपन जिम का निर्माण कार्य।	10.00	10.16	10.10	5.05	5.05
4	नगर पंचायत-रुधौली, जनपद-बस्ती में 02 स्थानों पर ओपन जिम का निर्माण कार्य।	20.00	19.93	20.20	10.10	10.03
5	नगर पंचायत-रुधौली, जनपद-बस्ती सीमान्तर्गत सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	23.00	22.94	23.23	11.615	11.55
कुल धनराशि						54.63

शर्तें व प्रतिबन्ध

- स्वीकृत/निर्गत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा वित्तीय नियमों के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. निर्गत धनराशि शासनादेश संख्या- 1013/नौ-6-2025-01न0यो0/2024, दिनांक 29.05.2025 द्वारा निर्गत नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) की गाईडलाईन्स/दिशा-निर्देश में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय द्वारा व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं का निर्माण कार्य पत्र संख्या-2668(1)/नौ-6-2024, दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से निर्गत विशिष्टियों (Specifications) के अनुसार कराया जायेगा।
3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि, नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. कार्य की मात्रा को, निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
6. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
7. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
8. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत जो जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अतः निकाय/कार्यदायी संस्था अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
10. बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अनुपालन का दायित्व निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
11. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" में दिये गये प्राविधान के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदें जिनका कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित हैं, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
13. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्यदायी संस्था/निकाय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पर्याप्त संख्या में सक्षम तकनीकी मैन पॉवर तैनात की जाये।
14. प्रायोजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति के संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में ऐसी औचित्यपूर्ण व स्वपोषी कार्ययोजना सक्षम स्तर के अनुमोदन से बनाये जाने पर विचार किया जाये, जिससे उक्त प्रायोजना को चलाने हेतु आवर्ती व्यय प्राप्त हो सके।
15. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर योजना का नाम, कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
16. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
17. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
18. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
19. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
20. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यदेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. निर्गत की जा रही धनराशि तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय/कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये।
22. इस सम्बन्ध में निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1013/नौ-6-2025-01न0यो0/2024, दिनांक 29.05.2025 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
23. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/ वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

24. निर्गत की जा रही धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष-2025-26 (31 मार्च 2026 तक) में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा उसके पश्चात धनराशि का उपयोग नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही किया जायेगा।
25. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/ दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26. प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु निर्गत उक्त धनराशि निम्नलिखित गतिविधियों हेतु उपयोग की जायेगी:-
- (1) क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (IEC), प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु।
 - (2) परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के लिये सीमा से बाहर का व्यय।
 - (3) आवश्यक होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स, फोटोग्राफ/आडियो-विजुअल माध्यमों, वॉल पेन्टिंग, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करने हेतु।
 - (4) नगर चौपाल के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अध्ययन/शोध/अभिलेखीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों हेतु।
 - (5) डी0पी0आर0 तैयार करने और डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये आवश्यक सर्वेक्षण कार्य करने वाले सलाहकार/टीम को भुगतान हेतु।
 - (6) आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **54.63 लाख (रु0 चौवन लाख तिरसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001800 नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
Digitally signed by
RAVINDRA SINGH
Date: 17-11-2025
15:38:46

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी-मथुरा/बस्ती, उ0प्र0।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोसीकलां, जनपद- मथुरा, उ0प्र0।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रुधौली, जनपद- बस्ती, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कोषागार, मथुरा/बस्ती, उ0प्र0।
8. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01/02।
13. टीम लीडर- पी0एम0यू0-सी0एम0वी0एन0वाई0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।